23/02/14

वकील साहबान गैरहाजिर। वकील साहबान व मुवक्किलान के अवकाश किया गया। कल का अवकाश होने के कारण न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने के कारण अग्रिम पेशी अग्रिम हुकूमी रखकर दिन तय के आदेश दिए जाते हैं। प्रतिलिपि फोरन शुमार हो।

तहसीलदार
रामगढ़